



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11092024-257064  
CG-DL-E-11092024-257064

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3548]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 10, 2024/भाद्र 19, 1946

No. 3548]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 10, 2024/BHADRA 19, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2024

का.आ. 3880(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिलाद वन्यजीव अभयारण्य, मणिपुर के आसपास एक पारिस्थितिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 3309 (अ) द्वारा, तारीख 26 अक्टूबर, 2016 को एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उपनियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकेगी;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3309(अ) द्वारा, तारीख 26 अक्टूबर, 2016 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 3309(अ) द्वारा, तारीख 26 अक्टूबर, 2016 प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैराग्राफ रखे जाएंगे, अर्थात्: -

**“5. मानीटरी समिति.** – केंद्रीय सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्: -

- |       |  |                       |
|-------|--|-----------------------|
| (i)   | संबंधित उपायुक्त   | अध्यक्ष, पदेन;        |
| (ii)  | क्षेत्र के ज्येष्ठ नगर नियोजक  | सदस्य, पदेन;          |
| (iii) | ज्येष्ठ पर्यावरण अभियंता, मणिपुर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंफाल   | सदस्य, पदेन;          |
| (iv)  | पर्यावरण या वन्यजीव या नैसर्गिक संरक्षण जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि के लिए मणिपुर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि | सदस्य;                |
| (v)   | प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी या पर्यावरण में एक विशेषज्ञ को प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् मणिपुर सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा  | सदस्य;                |
| (vi)  | सदस्य, मणिपुर राज्य जैव विविधता बोर्ड  | सदस्य, पदेन;          |
| (vii) | उप वन संरक्षक  | सदस्य सचिव,<br>पदेन।” |

(2) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या यथास्थिति, राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा।

- (3) उन क्रियाकलापों की, जो उपपैरा (2) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (4) मानीटरी समिति के सदस्य सचिव या कलेक्टर या उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत फाईल करने के लिए सक्षम होंगे।
- (5) मानीटरी समिति मामला-दर-मामला के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध-IV में विनिर्दिष्ट निदर्शन पत्र में प्रस्तुत करेगी।
- (7) केंद्रीय सरकार अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए मानीटरी समिति को लिखित रूप में ऐसे निर्देश दे सकेगी, जैसा वह ठीक समझे।”

[फा. सं. 25/27/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेटा, वैज्ञानिक 'जी'

**टिप्पण.-** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3309(अ) तारीख 26 अक्टूबर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2024

**S.O. 3880(E).— WHEREAS** the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2), and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Zeilad Wildlife Sanctuary, Manipur in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3309 (E), dated the 26<sup>th</sup> October, 2016;

**AND WHEREAS** the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

**AND WHEREAS** sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

**AND WHEREAS** the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 3309 (E), dated the 26<sup>th</sup> October, 2016;

**NOW, THEREFORE,** in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, the Ministry of Environment and Forest and Climate

Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), *vide* S.O. 3309 (E), dated the 26<sup>th</sup> October, 2016 namely:-

In the said notification, for paragraph 5, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“5. **Monitoring Committee.** — The Central Government hereby constitutes Monitoring Committee for effective monitoring of the provisions of this notification consisting of the following persons, namely:

- |   |  |
|---|--|
| (i) The Concerned Deputy commissioner.  | Chairman, <i>ex officio</i> ;            |
| (ii) Senior Town Planner of the area.   | Member, <i>ex officio</i> ;              |
| (iii) Senior Environment Engineer, Manipur State<br>Pollution Control Board, Imphal   | Member, <i>ex officio</i> ;              |
| (iv) One representative of a non-governmental organisation working in the field of environment or wildlife or natural conservation including heritage conservation to be nominated by the Government of Manipur for every three years | Member;                                  |
| (v) One expert in ecology or environment from reputed institution or university to be nominated by the Government of Manipur after every three years  | Member;                                  |
| (vi) Member, Manipur State Biodiversity Board   | Member; <i>ex officio</i> ;              |
| (vii) Deputy Conservator of Forests   | Member-Secretary;<br><i>ex officio</i> ; |

- (2) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (3) The activities not covered in the Schedule to the notification referred in sub-paragraph (2) and falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (5) The Monitoring Committee may invite representative or expert from Department, representative from industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case-to-case basis.
- (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31<sup>st</sup> March of every year by the 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden in proforma specified in Annexure IV.
- (7) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.”.

[F. No. 25/27/2015-ESZ/RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist “G”

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3309 (E), dated the 26<sup>th</sup> October, 2016.